

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 1977/पैष 6, 1899

No. 255] NEW DELHI, TUESDAY, 27 DECEMBER 1977/PAI 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICES

New Delhi the 27th December 1977

No. DRAWBACJK/PN-49/77—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No 52/F No 602, 2/70-LJK published in the Gazette of India Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No 1 DRAWBACK/PN dated the 31st October, 1971, as amended from time to time—

After proviso (iii) under sub-serial No 262 the following notes shall be added namely—

NOTE—(1) In computing the drawback amount an addition of 4 6% (Four points six percent only) shall be made to the amount arrived at the rates mentioned above

(2) The term 'Count' wherever it occurs in sub-serial No 262 refers to English Count

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 18th day of September, 1977.

(1585)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1977

स० प्रतिभ्रदायगी / सा० सू० 49 / 77.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना स० 52/फा० स० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना स० प्रतिभ्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2628 के नीचे परचुक्र (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणियां जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

टिप्पणी .—(1) प्रतिभ्रदायगी की रकम का संगणन करने में ऊपर उल्लिखित दरों से निकाली गई रकम में 4.6 प्रतिशत (चार दशमलव छः प्रतिशत) जोड़ा जायेगा ।

(2) उपक्रमांक स० 2628 में जहाँ कहीं “सूत्रांक” शब्द आया है उसका अर्थ अंग्रेजिश सूत्रांक से है ।

यह सार्वजनिक सूचना दिसम्बर, 1977 के 18वें दिन से लागू हुई समझी जायेगी ।

NO. DRAWBACK PN 51/77.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 53/F No. 612/2/71-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October 1971, as amended from time to time :—

After sub-serial No. 1801 and the entries relating thereto, the following sub-serial number and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-S. No.	Description of goods	Rate of drawback
1802.	Insecticides, Pesticides, Fungicides, Weedicides and, and Formulations thereof not elsewhere specified.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

K. C. MAMGAIN, Under Secy.

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सं० 50/77.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथामंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सं० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित मंशोधन करती है :—

उपक्रमांक 1801 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपक्रमांक तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
2	3	
1802.	कीटनाशी, नाशीकीटनाशक, फफूंदनाशी, खर-पतवार नाशी रसायन और उनसे बनी निर्मितिया जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)।

उपर्युक्त सामग्रियों के सम्बन्ध में, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निश्चित सभी बाड़ दरें, इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने से वापस ली गई समझी जाएंगी।

के० सी० ममगाई, भवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार भुवनेश्वर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

